सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

शेयर बाजार घोटाला एवं तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई की 35वीं प्रगति रिपोर्ट

दिसंबर, 2020

शेयर बाजार घोटाला एवं तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई की 35वीं प्रगति रिपोर्ट

दिसंबर, 2020

प्रस्तावना

शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों की संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में 19 दिसम्बर, 2002 को प्रस्तुत की गई थी। संयुक्त संसदीय समिति ने पैरा 3.31 में सिफारिश की थी कि सरकार छः माह के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट तथा तत्पश्चात् प्रत्येक छः माह में एक प्रगति रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करे जब तक कि सभी सिफारिशों पर कार्यान्वित कार्रवाई से संसद संतुष्ट न हो जाए। सरकार ने की गई कार्रवाई रिपोर्ट संसद में दिनांक 09.05.2003 को प्रस्तुत की थी।

2. प्रथम प्रगति रिपोर्ट लोक सभा/राज्य सभा में क्रमशः 12.12.2003 तथा 16.12.2003 को प्रस्तुत की गई थी; द्वितीय प्रगति रिपोर्ट 10.06.2004 को; तृतीय प्रगति रिपोर्ट 09.12.2004 को; चौथी प्रगति रिपोर्ट 29.07.2005 को; पांचवी प्रगति रिपोर्ट 20.12.2005 को; छठी प्रगति रिपोर्ट 23.05.2006 को तथा सातवीं प्रगति रिपोर्ट 19.12.2006 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। आठवीं प्रगति रिपोर्ट 22.5.2007 को संसदीय पुस्तकालय में रखी गई और इसे 17.08.2007 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। नौंवी प्रगति रिपोर्ट 07.12.2007 को प्रस्तुत की गई और दसवीं प्रगति रिपोर्ट मई 2008 के दौरान संसदीय पुस्तकालय में रखी गई तथा इसे 24.10.2008 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। ग्यारहवीं प्रगति रिपोर्ट 16.12.2008 को प्रस्तुत की गई थी; बारहवीं प्रगति रिपोर्ट 09.06.2009 को; तेरहवीं प्रगति रिपोर्ट 18.12.09 को; चौदहवीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा/राज्य सभा में 7.5.2010 को प्रस्तुत की गई थी एवं पन्द्रहवीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा/राज्य सभा में 9.12.2010 को प्रस्तुत की गई थी। सोलहवीं प्रगति रिपोर्ट 08.06.2011/21.06.2011 को संसदीय पुस्तकालय में रखी गई और 05.08.2011 को लोकसभा/राज्यसभा में प्रस्तुत की गई थी। सत्रहवीं प्रगति रिपोर्ट 7.12.2011 लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी। अट्ठारहवीं प्रगति रिपोर्ट संसदीय पुस्तकालय में 6.6.2012 को रखी गई थी तथा लोक सभा एवं राज्य सभा में 9.8.2012 को प्रस्तुत की गई थी। 19वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा/राज्य सभा में 07.12.2012 को प्रस्तुत की गयी थी। 20वीं प्रगति रिपोर्ट संसदीय पुस्तकालय में 29.5.2013 को रखी गई थी और लोकसभा/राज्य सभा में 13.8.2013 और 23.8.2013 को प्रस्तुत की गई थी। 21वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा/राज्य सभा में क्रमशः 13.12.2013 और 17.12.2013 को प्रस्तुत की गई थी। 22वीं प्रगति-रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 11.07.2014 और 15.07.2014 को प्रस्तुत की गई थी। 23वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा में 12.12.2014 और राज्य सभा में 16.12.2014 को प्रस्तुत की गई थी। 24वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 27.07.2015 और 28.07.2015 को प्रस्तुत की गयी। 25वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में तारीख 18.12.2015 को प्रस्तुत की गयी थी। 26वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 27.07.2016 और 26.07.2016 को प्रस्तुत की गई थी। 27वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में दिनांक 07.12.2016 को प्रस्तुत की गई थी। 28वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः दिनांक 21.7.2017 और 18.7.2017 को प्रस्तुत की गई थी। 29वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः दिनांक 29.12.2017 और 02.01.2018 को प्रस्तुत की गई थी। 30वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः दिनांक 03.08.2018 और 31.07.2018 को प्रस्तुत की गई थी। 31वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः दिनांक 03.01.2019 और 08.01.2019 को प्रस्तुत की गई थी। 32वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः दिनांक 26.07.2019 और 30.07.2019 को प्रस्तुत की गई थी। 33वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः दिनांक 02.12.2019 और 03.12.2019 को प्रस्तुत की गई थी। 34वीं प्रगति रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा में दिनांक 15.09.2020 को प्रस्तुत की गई थी।

3. संयुक्त संसदीय समिति ने 276 सिफारिशें/अवलोकन/निष्कर्ष दिए थे। मई 2003 के दौरान, संसद में प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट में, 111 सिफारिशों के संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर दिए गए थे। दिसम्बर 2003 के दौरान प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट में 39 सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पूर्ण की गई थी। द्वितीय प्रगति रिपोर्ट में 36 सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पूर्ण हो गई थी; तृतीय प्रगति रिपोर्ट में 18 सिफारिशों; चतुर्थ प्रगति रिपोर्ट में 23 सिफारिशों; पांचवीं प्रगति रिपोर्ट में 06 सिफारिशों; छठी प्रगति रिपोर्ट में 03 सिफारिशों; सातवीं प्रगति रिपोर्ट में 07 सिफारिशों पर कार्रवाई पूर्ण हो गई थी और आठवीं प्रगति रिपोर्ट में लंबित सिफारिशों पर केवल आगे और की गई कार्रवाई दी गई थी। नौंवी प्रगति रिपोर्ट में, 07 सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी हो गई थी; दसवीं प्रगति रिपोर्ट में, 02 सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पूरी हो गई थी; ग्यारहवीं प्रगति रिपोर्ट में 10 सिफारिशों पर कार्रवाई पूर्ण की गई थी; बारहवीं प्रगति रिपोर्ट में 03 सिफ़ारिशों के संबंध में कार्रवाई पूरी हो गई थी, तेरहवीं प्रगति रिपोर्ट में 05 सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पूर्ण हुई थी और चौदहवीं प्रगति रिपोर्ट में 01 सिफारिश पर कार्रवाई पूर्ण की गई थी। पन्द्रहवीं प्रगति रिपोर्ट में 01 सिफारिश पर कार्रवाई पूर्ण हो गई थी; सोलहवीं, सत्रहवीं, अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं प्रगति रिपोर्टों में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और 04 सिफारिशों पर कार्रवाई लम्बित थी। 20वीं प्रगति रिपोर्ट में 01 अनुशंसा पर कार्रवाई पूर्ण की गई थी और इस प्रगति रिपोर्ट में 03 सिफारिशों पर कार्रवाई लंबित थी। 21वीं प्रगति रिपोर्ट में, स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 22वीं प्रगति रिपोर्ट में, 02 संस्तुतियों पर कार्रवाई पूर्ण की गई थी और एक संस्तुति पर कार्रवाई लंबित थी। 23वीं प्रगति रिपोर्ट में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था और 01 संस्तुति पर कार्रवाई लंबित थी। 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं और 30वीं प्रगति रिपोर्ट में लंबित 01 संस्तुति की स्थिति को अद्यतन किया गया है परन्तु इस 01 संस्तुति पर कार्रवाई लंबित थी। 31वीं प्रगति रिपोर्ट में, स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था और 01 संस्तुति पर कार्रवाई लंबित थी। 32वीं, 33वीं एवं 34वीं प्रगति रिपोर्ट में 01 लंबित संस्तुति की स्थिति से संबंधित अद्यतन सूचना दी गई थी, लेकिन 01 संस्तुति पर कार्रवाई लंबित थी। यह 35वीं रिपोर्ट 01 लंबित संस्तुति की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करती है किन्तु इस 01 लंबित संस्तुति पर कार्रवाई अभी भी लंबित है।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	पृष्ठ संख्या
1.	5.159	कर्त्तव्यच्युति के कारण बैंक लेखापरीक्षकों के खिलाफ आईसीएआई द्वारा कार्रवाई	1-30

शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति की,
की गईं सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई की 35वीं प्रगति रिपोर्ट (दिसंबर, 2020)

क्र.सं.	पैरा सं.	संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
1.	5.159	पूर्वोक्त के मद्देनजर समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है :- (i) बकाया अग्रिम जिनका विपथन किया गया है और अन्य अग्रिम जो अब एनपीए की श्रेणी में रखे गए हैं, की वसूली के लिए कार्रवाई तेज की जाए। (ii) बैंक के लेखा परीक्षकों की ओर से कर्तव्य के प्रति किसी भी अवहेलना की स्थिति में इसे इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया को आगे जांच तथा समुचित कार्रवाई के लिए भेजा जाये। (iii) यद्यपि वहां विनियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था, यह देखा गया कि कुछ ऋण बिना व्यापक मूल्यांकन के मंजूर किए गए और इसलिए बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित ऋण मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली बनाई जाए। (iv) बैंक के प्रक्रियात्मक कार्यकरण को दुरूस्त किया जाए और आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संशोधन समयबद्ध तरीके के भीतर किए जाएं। (v) शेयर बाजार में भारी गिरावट के तुरंत बाद भा.रि.बैं. ने एक नए निजी बैंक पर अपना ध्यान केन्द्रित किया हालांकि अन्य निजी बैंकों ने भी पूंजी बाजार में वृहत एक्सपोजर किया था और इनमें ऐसे बैंक भी शामिल हैं जिन्होंने भा.रि.बैं. द्वारा तय सीमाओं का उल्लंघन किया था। अब जबकि, सभी संबंधित बैंकों के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है समिति सिफारिश करती है कि भा.रि.बै. एक समान और संगत तरीके से व्यापक समीक्षा करे और संबंधित सभी पक्षों के मामलों की जांच करे।	**मई, 2003 में यथासूचित** (i) ग्लोबल ट्रस्ट बैंक (जीटीबी) ने सूचित किया हे कि वे केतन पारेख से संबंधित सभी एनपीए खातों के बारे में कानूनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। अन्य एनपीए खातों की वसूली के संबंध में बैंक ने जनवरी, 2003 तथा फरवरी, के दौरान क्रमशः 5.98 करोड़ रूपए तथा 9 करोड़ रूपए की वसूली की सूचना दी है। (ii) बैंक लेखापरीक्षकों की तरफ से कर्त्तव्य में लापरवाही के संबंध में इस मामले की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंस्टीच्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस आफ इंडिया को दे दी गई है। (iii) आरबीआई ने बैंक को उपचारात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया है। (iv) आरबीआई ने 29.5.2002 को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी करके कहा है कि बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के निष्कर्षों पर समयबद्ध तरीके से अनुवर्ती कार्रवाई करने की प्रणाली को सरल और मजबूत बनाया जाए। इसका ब्यौरा पैरा नं0 10.8 में दिया गया है। (v) बैंकों के पूंजी बाजार एक्सपोजर की एकसमान समीक्षा करने करने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों से पूंजी बाजार एक्सपोजर पर मासिक रिपोर्ट मंगवाता है। **दिसम्बर, 2003 में यथासूचित** अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति पर है। **जून, 2004 में यथासूचित** भारतीय रिजर्व बैंक राशि की वसूली के लिए सतत आधार पर कार्रवाई कर रहा है। **दिसम्बर, 2004 में यथासूचित** **बैंक ऑफ इंडियाः** अवधि के दौरान 17.62 लाख रुपए की वसूली की तथा 30 जून, 2004 को शेष बकाया राशि 121.43 करोड़ रुपए थी। भारत सरकार के अनुमोदन से बैंक केतन पारेख समूह की कम्पनियों के संबंध में समझौता निपटान का कार्य कर रहा है। **ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.:** लेखों को वर्गीकृत किया गया क्योंकि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों ने कुल देनदारी का 100% प्रवाधान किया है, तथा पक्षकारों के विरूद्ध आपराधिक मामले तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष मामले दर्ज किए गए। **आईसीआईसीआई बैंक लि.:** ने एक खाते में ऋण वापस मांगा है और मुकदमा दायर किया जा रहा है।	(i) **वर्ष 2000-01 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड लुईस द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यगण** **श्री एस. गोपालकृष्णन** **श्री पी. राम कृष्ण** **श्री मनीष अग्रवाल** कोई परिवर्तन नहीं (ii) **वर्ष 2001-02 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड लुईस द्वारा यथा प्रकटित जवाबदेह सदस्यगणः** **श्री केरसी एच. वाछा** **श्री अमल गांगुली** कोई परिवर्तन नहीं (iii) **वर्ष 2002-03 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एंड कंपनी द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यगणः** **श्री पार्थ घोष** **श्री डी.वी.पी. राव** कोई परिवर्तन नहीं

क्र.सं.	पैरा सं.	संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
			सेंचुरियन बैंक लि.: ने केतन पारेख कम्पनियों से संबंधित खातों में बकाया अधिशेष बट्टेखाते डाल दिया है तथा डीआरटी-II में विधायी कार्यवाही भी आरम्भ की है। **बैंक ऑफ पंजाब लि.**: ने डीआरटी में वसूली मुकदमे दायर किए हैं तथा बंधक रखी सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए एस ए आर एफ ए ई एस आई अधिनियम, 2002 के तहत नोटिस जारी किया है। **रत्नाकर बैंक लि.**: सावधि जमा के प्रति ऋण को पूर्णतया समायोजित कर दिया गया है। भा.रि. बैंक द्वारा उक्त बैंकों को केतन पारेख कम्पनियों से सम्पूर्ण राशि शीघ्र वसूल करने के प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी गई है। **जुलाई, 2005 में यथासूचित** (i) सभी संबंधित बैंकों ने संबंधित कम्पनियों तथा उनके गारंटीकर्ताओं इत्यादि के विरूद्ध ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मामले दायर किए है। चूंकि केतन पारिख समूह की कम्पनियों के विरूद्ध कई मामले लम्बित हैं, ऋण वसूली न्यायाधिकरण में कार्यवाही की गति धीमी है। वसूली की प्रक्रिया यथेष्ट विधिक क्रम में की जाएगी। (ii) आई सी ए आई ने सूचित किया है कि उन्होने 25.2.2005 को संबंधित लेखापरीक्षकों से अभ्युक्तियां/स्पष्टीकरण मंगवाए हैं। वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के लिए संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दि. 20 मई 2005 को अपनी संबंधित अनुक्रियाएं भेजी हैं जिन्हें 24 मई, 2005 को आई सी ए आई द्वारा प्राप्त किया गया है। लेखापरीक्षकों ने अपनी उक्त अनुक्रियाओं में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने संगत वार्षिक वित्तीय निरीक्षण तथा विशेष लेखापरीक्षकों द्वारा अपनाए गए आधार/प्राचल उपलब्ध कराए हैं तथा इसने वर्ष 2001-02 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा परिशीलन/जांच के लिए आई सी ए आई को विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट देने से भी रोक दिया है, अतः वे इस संबध के कोई विचार/स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होने संगत डाटा/सूचना/ब्यौरों के अभाव में अपनी अभ्युक्तियां/स्पष्टीकरण देने में अपनी अक्षमता अभिव्यक्त की। तथापि, उन्होने यह भी कहा है उन्होने सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण तथा लेखापरीक्षा व्यवहारों एवं घोषणाओं के अनुसार संबंधित लेखापरीक्षा का संचालन किया है तथा तदनुसार उन्होने संस्थान से मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया। आई सी ए आई में मामले की आगे और जांच की जा रही है। **दिसम्बर, 2005 में यथासूचित** संबंधित प्रतिवादी फर्मों द्वारा उनसे संबंधित स्पष्टीकरण के प्रस्तुतीकरण हेतु मांगे गए दस्तावेज/ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक से आईसीएआई को 4 अगस्त 2005 को प्राप्त हो गए थे और 5 अगस्त को इन्हें इस शर्त के साथ प्रतिवादी फर्मों को अग्रेषित किया	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		गया था कि उनके स्पष्टीकरण/टिप्पणियां 31 अगस्त 2005 तक उनके पास पहुंच जानी चाहिए। संबंधित प्रतिवादी फर्मों ने अपने क्रमशः 15.9.05 और 19.9.2005 के पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण/टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं और सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए विनियमों के अधीन आईसीएआई द्वारा उनकी जांच व प्रक्रियान्वयन किया जा रहा है। **मई, 2006 में यथासूचित** आईसीएआई ने सूचित किया है कि उनके द्वारा जल्द ही कार्य पूरा करने की आशा है। **दिसम्बर, 2006 में यथासूचित** आईसीएआई ने सूचित किया है कि उन्हें आशा है कि वे इस कार्रवाई को शीघ्र पूरा कर लेंगे। आई सी ए आई ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, विशेष लेखा परीक्षकों से प्राप्त पूर्ववर्ती कागजातों, संवैधानिक लेखा परीक्षकों के स्पष्टीकरण और अन्य प्रलेखों सहित प्राप्त नवीनतम निविविरणों की जांच के आधार पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के अंतर्गत कुछ आरोपों को "सूचना" मानने का अंतिम निर्णय ले लिया गया है। तदनुसार, "सूचना" पत्र (जों) अर्थात् कारण बताओ नोटिस संबंधित संवैधानिक लेखा परीक्षकों अर्थात् मैं. लवलॉक एण्ड लूईस, सनदी लेखाकार, कोलकाता (वर्ष 2000-01 के लिए) तथा मै. प्राईस वाटर हाऊस एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार, कोलकाता (वर्ष 2002-03 के लिए) को क्रमशः 1.12.06 तथा 5.12.2006 को जारी किए गए हैं। **मई, 2007 में यथासूचित** आई सी ए आई ने सूचित किया है कि उत्तरदायी सदस्य(ों) से लिखित कथन प्राप्त हो गए हैं तथा मामले को परिषद् के समक्ष उसकी जून 2007 के माह में आयोजित की जाने वाली इसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। **दिसम्बर, 2007 में यथासूचित** आई सी ए आई ने सुचित किया है कि सभी तीन वर्षों अर्थात 2000-01, 2001-02, और 2002-03, से संबंधित मामलों पर इसकी प्रथम दृष्टया राय के लिए परिषद द्वारा 16 और 18 अगस्त, 2007 के बीच आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया है और समिति ने इन सभी मामलों को जांच के लिए अनुशासनिक समिति को भेज दिया है। अनुशासनिक समिति द्वारा इन मामलों की सुनवाई 13-15 दिसम्बर, 2007 के बीच की जानी निर्धारित की गई है।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		मई, 2008 में यथासूचित आई सी ए आई ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका इन मामलों में एक गवाह के रूप में उल्लेख किया गया है, ने इस आधार पर आस्थागन की मांग की थी कि दस्तावेज भेजने के लिए उनको समय की आवश्यकता थी, अनुशासनिक समिति ने इन मामलों को 22 और 23 अप्रैल, 2008 के लिए आस्थगित कर दिया। 22 अप्रैल, 2008 को सुनवाई के समय प्रत्यर्थियों ने समिति से अनुरोध किया कि उन्हें अपने कार्यकारी कागज़ प्रस्तुत करने के लिए, जो संख्या में अधिक हैं, 30-45 दिनों का समय चाहिए। प्रत्यर्थियों के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात्, समिति ने प्राकृतिक न्याय के आधार पर प्रत्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया और परिणामतः सुनवाई को आस्थागित किया। **दिसम्बर, 2008 में यथासूचित** आईसीएआई ने सूचित किया है कि वर्ष 2000-01 से संबंधित मामले की सुनवाई 01.08.08 को मुंबई में हुई और यह उसी दिन समाप्त हो गई। प्रतिवादियों से सुनवाई के समय अनुशासनिक समिति द्वारा यथानिदेशित दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया गया और वे उनसे प्राप्त हो गए हैं। अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 2001-02 और 2002-03 से संबंधित मामलों के संबंध में, उन्होंने सूचित किया है कि मामलों को मुंबई में 6 और 7 अक्तूबर, 2008 तक आस्थगित किया गया है। 6.10.08 को मामले को आंशिक रूप से सुना गया और 8.11.08 तक आस्थगित किया गया। **जून, 2009 में यथासूचित** आईसीएआई ने निम्नानुसार सूचित किया हैः- (i) वर्ष 2001-01 तथा 2001-02 से संबंधित मामलों में सुनवाई को अनुशासनिक समिति ने अंतिम रूप दे दिया है तथा उक्त रिपोर्टों के परिषद बैठक की कार्य सूची में इसके अंतिम विचारार्थ शामिल किया गया है। यदि परिषद द्वारा ये रिपोर्टें स्वीकार कर ली जाती है तो वह संबंधित उच्च न्यायालय (यों) को उसके अंतिम अनुमोदन हेतु सजा की अनुशंसा करेगी। (ii) वर्ष 2002-03 से संबंधित मामले में सुनवाई को अनुशासनिक समिति द्वारा 23.03.09 को समाप्त कर दिया गया है किन्तु तत्पश्चात, प्रतिवादियों ने माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश पारित कर दिए हैं तथा आगामी कार्रवाई हेतु अनुशासनिक समिति द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		दिसम्बर, 2009 में यथासूचित जहां तक वर्ष 2000-01 से संबंधित मामले में सुनवाई का संबंध है, आईसीएआई ने सूचित किया है कि सुनवाई के मार्च और अप्रैल, 2009 के माह में निर्धारित होने के पश्चात् प्रतिवादियों से स्थगन अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिन्हें मान लिया गया था और तदनुसार उक्त रिपोर्ट को 8 से 10 अगस्त, 2009 को होने वाली परिषद् बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया। उक्त बैठक में प्रतिवादियों, नामतः श्री पी रामाकृष्णन और श्री मनीष अग्रवाल ने इस आधार पर स्थगन के लिए अनुरोध किया कि उनके भागीदार श्री एस. गोपालकृष्णन मौजूद नहीं थे। समिति ने उनके अनुरोध पर अंतिम बार मामले को स्थगित कर दिया और आगे कार्यालय को श्री एस. गोपालकृष्णन को दी गई अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट की एक प्रति जेल में भेजने का निदेश दिया जो उन्हें विधिवत जेल में तामील कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, श्री एस. गोपालकृष्णन ने दिनांक 8 अगस्त, 2009 को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होनें जमानत पर छूटने तक इस मामले में सुनवाई के आस्थगित करने का अनुरोध किया है। उक्त रिपोर्ट 16 और 17 दिसंबर, 2009 को होने वाली समिति की अगली बैठक में समिति के समक्ष रखी जाएगी। जहां तक वर्ष 2001-02 से संबंधित मामले में सुनवाई का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट को समिति की कार्यसूची में शामिल किया गया है और प्रतिवादी के लिखित प्रस्तुतीकरणों, यदि कोई हो, के साथ इस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि समिति अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करती है, तो वह संबद्ध उच्च न्यायालय से सजा के लिए सिफारिश करेगी। वर्ष 2002-03 से संबंधित सुनवाई और इसके अतिरिक्त 23 मार्च, 2009 को समाप्त हुई सुनवाई के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि प्रतिवादियों ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 16 अप्रैल, 2009 के अपने आदेश द्वारा अनुशासनिक समिति को कुछ निदेश दिए थे। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय, के निदेशों के अनुपालन में, अनुशासनिक समिति ने दिनांक 8 जुलाई, 2009 को मौखिक आदेश पारित किया और इसकी सूचना संस्थान के दिनांक 18 जुलाई, 2009 के पत्र द्वारा प्रतिवादियों को दे दी गई, जिसमें उन्हें सुनवाई की नई तारीखो अर्थात् मुंबई में 20 और 21 अगस्त, 2009 को होने वाली सुनवाई, के बारे में भी सूचित किया गया। अगस्त, 2009 के माह में सुनवाई निर्धारित होने के नोटिस की प्राप्ति	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		पर, प्रतिवादियों ने पुनः पूछताछ से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए, जिसका स्पष्टीकरण उन्हें संस्था के दिनांक 12 अगस्त, 2009 के पत्र द्वारा दिया गया। इसके बाद प्रतिवादियों ने अगस्त, 2009 में माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और यह मामला 15 अगस्त, 2009 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने वे सभी दस्तावेज अनुशासनिक समिति को दो सप्ताह के भीतर देने के निदेश दिए जिन्हें प्रतिवादियों के विरूद्ध आधार के रूप में अनुशासनिक समिति ने प्रयुक्त किया था। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जबकि प्रतिवादियों को सभी दस्तावेज दिए जा चुके थे, फिर भी साक्षियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और विशेष लेखापरीक्षकों से प्राप्त सभी कागजातों को फिर से एक बार प्रतिवादियों को भेजा गया और 16 और 17 सितंबर, 2009 को होने वाली सुनवाई की अगली तारीख के लिए नोटिस जारी किए गए। उक्त नोटिस साक्षियों समाहित प्रतिवादियों को दिनांक 25 अगस्त, 2009 को जारी किया गया। प्रतिवादियों ने पुनः माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और उन्होंने 9 सितंबर, 2009 को संस्था की अनुशासनिक समिति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय की मानहानि की याचिका दर्ज की। उक्त मामला 11 सितंबर, 2009 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ जिसके लिए एक लघु स्थगन का अनुरोध किया गया और फिर यह मामला 15 सितंबर, 2009 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ। माननीय न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया कि साक्षियों से प्राप्त सभी कागजातों को पहले ही प्रतिवादियों को भेजा जा चुका है और भारतीय रिजर्व बैंक से इस आशय का पत्र भी मांगा गया था जिसे 15 सितंबर, 2009 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया और फिर से उन सभी कागजातों को, जो पहले प्रतिवादियों को दिए गए थे, माननीय उच्च न्यायालय के सामने पुनः प्रतिवादियों को दिया गया। इस मामले में उक्त सुनवाई को पुनः स्थगित किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों पर 16 और 17 सितंबर, 2009 के लिए तय किया गया। माननीय न्यायालय का यह मत था कि मानहानि क्षेत्राधिकार की कार्रवाई का परिशीलन करना जरूरी नहीं था। तदनुसार मानहानि याचिका का निपटान कर दिया गया। अब, उक्त मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 और 16 जनवरी, 2010 को तय होने की संभावना है।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		मई, 2010 में यथासूचित आईसीएआई ने सूचित किया है कि इस मामले में की गई नवीनतम कार्रवाई निम्नानुसार हैः- (क) **वर्ष 2000-01 के लिए-** प्रतिवादी फर्म द्वारा उद्घाटित जवाबदेह सदस्यों के नाम श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी.रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट पर विचार करने पर, परिषद ने सनदी लेखाकार पी.रामाकृष्णन के संबंध में अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया और प्रतिवादी को सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (6), (7),(8) और (9) के अर्थ के अंतर्गत वृतिक अवचार का दोषी माना और संबंद्ध उच्च न्यायालय से यह सिफारिश की कि सदस्यों की सूची से उनका नाम 5 वर्षों के लिए हटा लिया जाए। तत्पश्चात, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। संस्थान द्वारा प्रति-शपथपत्र दायर किया गया है और प्रतिवादी ने अपना उत्तर दायर करने के लिए न्यायालय से समय मांगा है तथा, तदनुसार इस मामले को 12 अप्रैल, 2010 को सुनवाई के लिए रखा गया था तथा आगे किसी और प्रगति की सूचना नही मिली है। इसके अतिरिक्त, परिषद ने सनदी लेखाकार मनीष अग्रवाल के संबंध में अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया है और प्रतिवादी को सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (7) के अर्थ के अंतर्गत आने वाली अधिसूचना संख्या 1-सीए(15)/60 तारीख 4 नवंबर, 1960 के अनुसार दोषी माना है और संबद्ध उच्च न्यायालय से यह सिफारिश की हैं कि उनका नाम सदस्यों की सूची से 3 वर्षो के लिए हटाया जाए। जहां तक सनदी लेखाकार एस. गोपालकृष्णन का संबंध है, चूंकि वे न्यायिक हिरासत में थे, परिषद ने उन्हें एक अंतिम नोटिस भेजने का निर्णय लिया है जिससे उन्हें सूचित किया जाएगा कि परिषद् द्वारा उनकी रिपोर्ट की सुनवाई 60 दिनों के बाद की जाएगी। तद्नुसार, उन्हें उनका लिखित अभ्यावेदन भेजने अथवा 3 और 5 मई, 2010 के बीच होने वाली परिषद् की अगली बैठक में परिषद के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए अपना वकील भेजने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		(ख) **वर्ष 2001-02 के लिए-** प्रतिवादी फर्म द्वारा उद्घाटित जवाबदेह सदस्य हैः- श्री केरसी एस. वच्छा श्री अमल गांगुली अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट को परिषद् की कार्यसूची में शामिल किया गया है, जिस पर तीन और पांच मई, 2010 के बीच होने वाली अगली बैठक में संभवतः विचार किया जाएगा। यदि परिषद् प्रतिवादियों के लिखित प्रस्तुतीकरणों के साथ, यदि कोई हो, इस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करती है, तो वह संबद्ध उच्च न्यायालय से सजा की सिफारिश करेगी। (ग) **वर्ष 2002-03 के लिए-** प्रतिवादी द्वारा उद्घाटित जवाबदेह सदस्य हैंः- श्री पार्था घोष श्री डी.वी. पी. राव जनवरी और फरवरी, 2010 के महीनों में नियत सुनवाई (सुनवाइयों) प्रतिवादी (प्रतिवादियों) के अनुरोध पर आस्थगित कर दी गई थी। इस मामले में सुनवाई नई दिल्ली में 6 और 7 अप्रैल, 2010 के लिए रखी गई थी तथा आगे कोई और प्रगति की सूचना नहीं मिली है। **दिसम्बर, 2010 में यथासूचित** (i) वर्ष 2000-01 के लिए :- प्रतिवादी फर्म अर्थात - मैसर्स लवलॉक एंड ल्युविस द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार जवाबदेह सदस्यः- श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल आईसीएआई परिषद् द्वारा तीनों प्रतिवादी - सदस्यों को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया। अनुशासनिक समिति द्वारा उनके विरुद्ध पूछताछ पूरी की जा चुकी है और आईसीएआई परिषद को रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी हैं। परिषद् ने संबंधित रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् इन्हें स्वीकार कर लिया था। इस मामले में तदनंतर घटनाक्रम निम्नानुसार हैंः- (क) श्री एस. गोपालकृष्णन को जमानत दी जा चुकी है और परिणामस्वरूप अब वो हिरासत में नहीं हैं। (ख) श्री पी. रामाकृष्णन ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में परिषद् के निर्णय के विरुद्ध एक रिपोर्ट याचिका दायर की है।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 (संशोधनपूर्व) के प्रावधानों की अप्रयोज्यता के संबंध में श्री पी. रामाकृष्णन की दलील के साथ सहमति जताई है और फैसला दिया है कि इस मामले में प्रतिवादी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उसके द्वारा विनिर्दिष्ट चरण से पुनः शुरु की जाए (अर्थात प्रथम दृष्टया मत बनने से) और यह केवल सनदी लेखाकर अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत जारी रहेगी न कि इस अधिनियम की पूर्व-संशोधित धारा 21 के तहत। आईसीएआई ने इस मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है। न्यायालय ने अंतिम निपटान के लिए उक्त मामले को 08 दिसम्बर 2010 के लिए निर्धारित किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को देखते हुए, कंपनी कार्य मंत्रालय को श्री एस. गोपालकृष्णन और श्री मनीष अग्रवाल के मामले में भी कोई कार्रवाई शुरु न करने की कानूनी सलाह दी गई है। (ii) वर्ष 2001-02 के लिएः- प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड ल्यूविस द्वारा यथा प्रकटित जवाबदेह सदस्यों के नाम हैंः- श्री केरसी एच. वच्छा श्री अमल गांगुली दोनों प्रतिवादी सदस्यों को आईसीएआई परिषद् द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। अनुशासनिक समिति द्वारा इनके विरुद्ध पूछताछ पूरी का जा चुकी है और परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है; अनुशासनिक समिति की रिपोर्टों को परिषद् द्वारा उसकी 3 और 5 मई, 2010 के बीच हुई बैठक पर विचारार्थ रखा जाना था। तथापि, प्रतिवादियों की ओर से एक स्थगन अनुरोध प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपने लिखित अभ्यावेदन भेजने के लिए 31 मई, 2010 तक का समय मांगा था, जिसे मान लिया गया। तत्पश्चात् समय बढ़ाने के लिए एक अन्य अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अपने लिखित अभ्यावेदन भेजने के लिए 30 जून, 2010 तक का समय मांगा। इसे भी इस शर्त के साथ मान लिया गया कि यह समय अंतिम बार बढ़ाया गया है। इसी बीच दिनांक 29 जून, 2010 के पत्र द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन को भेजने के लिए समय को बढ़ाने हेतु एक अन्य अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसे नहीं माना गया। यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि यह अत्यंत संभावित है कि श्री पी रामाकृष्णन के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के अनुकूल आदेश के आधार पर वर्ष 2001-02 के प्रतिवादी सदस्य श्री पी रामाकृष्णन द्वारा दायर रिट याचिका	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अदालत में उद्धरण दें और वैसे ही संव्यवहार की मांग करें। (iii) वर्ष 2002-03 के लिएः- प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एंड कम्पनी द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्य हैंः- श्री पार्था घोष श्री डी.वी.पी. राव ▪ आईसीएआई परिषद् द्वारा दोनों प्रतिवादी सदस्यों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। ▪ मार्च, 2010 तक अनुशासनिक समिति द्वारा आठ सुनवाईयां की जा चुकी हैं। अगली सुनवाई 1 मई, 2010 के लिए निर्धारित की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री पी रामाकृष्णन के पक्ष में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को प्रतिवर्तित करने के लिए आईसीएआई द्वारा प्रयोज्य न्यायालय के माध्यम से हर प्रयास किया जा रहा है। आईसीएआई माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (एकल न्यायधीश) के उक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहा है। **जून, 2011 में यथासूचित** (i) वर्ष 2000-01 के लिए :- प्रतिवादी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलॉक एंड ल्युवेस द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यः- श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है और इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 31.5.2011 है। (ii) वर्ष 2001-02 के लिए :- प्रतिवादी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलॉक एंड ल्युवेस द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यः- श्री केरसी एच. वच्छा श्री अमल गांगुली स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। (iii) वर्ष 2002-03 के लिए :- प्रतिवादी फर्म अर्थात् मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एंड कंपनी द्वारा यथाप्रकटित जवाबहेह सदस्यः- श्री पार्था घोष श्री डी.वी.पी. राव स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		दिसम्बर, 2011 में यथासूचित (i) वर्ष 2000-01 के लिए : प्रत्यर्थी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलॉक एंड लूइस द्वारा यथा इंगित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री एस गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई 31.5.2011 को की तथा निर्णय का सुनाया जाना सुरक्षित रखा। इसने अपना निर्णय 30 सितंबर 2011 को सुनाया जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् हैः ''पैरा 37- सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 21-घ के अधिनियमन का विधिक आशय शिकायत या सूचना के आधार पर परिषद् के समक्ष लंबित मामलों के बीच पार्थक्य कायम करना, और यह सुनिश्चित करना है कि संशोधित उपबंध किसी नई शिकायत या सूचना मिलने पर लागू होंगे जबकि असंशोधित अधिनियम लंबित शिकायतों या सूचनाओं पर लागू होगा। यह समझ से परे है और इस बात का कोई सही कारण या वजह नहीं है कि 'सूचना' और 'शिकायत' के बीच भेदभाव यह निश्चित करते समय क्यों किया जाए कि संशोधित उपबंध लागू होगा या असंशोधित उपबंध। धारा 21घ को सम्मिलित करने के पीछे विधिक आशय कानूनी स्थिति को संदेह या छिद्रान्वेषण से परे करना है ताकि विवाद की गुंजाइश ही न रहे। साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 के अधीन भी स्थिति ऐसी ही है। इन परिस्थितियों में हम धारा 21घ में यथाप्रयुक्त शब्द 'शिकायत' पर अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवेचन को अधिमान देंगे। शब्द 'शिकायत' में ऐसे सूचना संबंधी मामले शामिल हैं जो परिषद् के समक्ष 17 नवंबर, 2006 को लंबित थे। ऊपर यथाचर्चित वर्तमान विषय के तथ्यों में सूचना के रूप में कार्यवाही या शिकायत परिषद् के समक्ष 17 नवंबर, 2006 को लंबित थी, और तदनुसार असंशोधित उपबंध ही लागू होंगे।'' ''पैरा 38- उक्त विवेचन के आधार पर वर्तमान अपील मंजूर की जाती है और यह निर्णय दिया जाता है कि संशोधित सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 द्वारा विहित प्रक्रिया अर्थात् धाराएं 21, 22 और 22क सूचना के मामले में लंबित कार्यवाहियों पर लागू होंगी न कि सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा किए गए संशोधन के बाद विहित प्रक्रिया। जैसा कि ऊपर पहले ही निर्णय दिया गया है, अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए अन्य निर्णयों और निर्देशों को चुनौती नहीं दी है। अतः यह अपील तदनुसार निपटा दी गई है। मामले के तथ्यों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।''	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		आईसीएआई ने सूचित किया है कि उक्त को देखते हुए सर्व श्री एस. गोपालकृष्णन, पी रामाकृष्णन और मनीष अग्रवाल के बारे में रिपोर्ट को आईसीएआई परिषद् की नई दिल्ली में 8 एवं 9 नवंबर, 2011 को आयोजनार्थ निर्धारित बैठक में उसके विचारार्थ सूचीबद्ध किया गया है। (ii) वर्ष 2001-02 के लिए : प्रत्यर्थी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलॉक एंड लूइस द्वारा यथा इंगित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री केरसी एच. वच्छा श्री अमल गांगुली आईसीएआई ने सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को देखते हुए सर्व श्री केरसी एच वाचा और अमल गांगुली के संबंध में रिपोर्ट को परिषद् की 8 एवं 9 नवंबर, 2011 को आयोजनार्थ निर्धारित बैठक में उसके विचारार्थ सूचीबद्ध किया गया है। (iii) वर्ष 2002-03 के लिएः प्रत्यर्थी फर्म अर्थात् मैसर्स वाटरहाऊस एंड कं. द्वारा यथा इंगित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री पार्था घोष श्री डीवीपी राव आईसीएआई ने सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को देखते हुए सर्वश्री पार्था घोष और डीवीपी राव से संबंधित मामले (मामलों) में अनुशासनिक समिति की बैठक नवंबर-दिसंबर, 2011 महीने में बुलाई जानी निर्धारित है। **जून, 2012 में यथासूचित** वर्ष 2000-01 (मैसर्स लवलॉक एंड ल्यूविस), 2001-02 (मैसर्स लवलॉक एंड ल्यूविस) और 2002-03 (मैसर्स प्राइसवाटर हाऊस एंड कं.) के लिए ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. की लेखापरीक्षा के संबंध में कार्यवाहीः (i) वर्ष 2000-01 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड ल्यूविस द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यः श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल श्री एस. गोपालकृष्णन, श्री पी. रामकृष्णा और श्री मनीष अग्रवाल के संबंध में रिपोर्ट को परिषद द्वारा 8 नवंबर, 2011 को नई दिल्ली में निर्धारित बैठक में विचारार्थ सूचीबद्ध किया गया था। तत्पश्चात्, परिषद् द्वारा उक्त रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व, सीए पी. रामाकृष्णन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान खंडपीठ के	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका दायर कर दी। परिषद् ने यह नोट करते हुए, कि, उक्त विशेष अनुमति याचिका को अभी सूचीबद्ध किया जाना है और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर इस तथ्य के साथ विचार करते हुए कि उनसे तारीख 11 दिसम्बर, 2009 का लिखित अभ्यावेदन, तारीख 3 फरवरी, 2010 का शपथ पत्र और अतिरिक्त कागजात प्राप्त हो गए हैं, इस मामले में आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तदनुसार, परिषद् ने पी. रामाकृष्णन और मनीष अग्रवाल के मामले में रिपोर्ट पर विचार करना शुरु किया और निम्नानुसार निर्णय लिया:- श्री पी. रामाकृष्णन को सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (6), (7), (8) और (9) के अभिप्राय के अंतर्गत व्यावसायिक दुराचार का दोषी पाया गया और परिणामतः संबंद्ध उच्च न्यायालय से यह सिफारिश की गई कि सदस्य पंजिका से उनका नाम 5 वर्षों के लिए हटा दिया जाए। श्री पी. रामाकृष्णन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष 25 नवंबर, 2011 को पेश हुई तथा उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् रूप में आदेश दिया:- ''अगले आदेशों तक, जहां तक याचक (पी रामाकृष्णन) का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 1 (आईसीएआई) द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।'' माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादी संस्थान को 24 फरवरी, 2012 तक अपना जवाबी हलफंनामा दर्ज करने का निर्देश दिया था और अगली सुनवाई 26 मार्च, 2012 के लिए निर्धारित की। 26 मार्च, 2012 को उच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिया कि वे 8 मई, 2012 तक अपना जवाबी उत्तर दर्ज करें। चाहे जवाबी उत्तर निर्धारित तारीख तक दर्ज हो अथवा नहीं, 2 जुलाई, 2012 को सुनवाई की अगली तारीख के लिए निर्धारित किया गया। श्री मनीष अग्रवाल को सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग (1) के खंड (7) के अभिप्रायों के अंतर्गत तारीख 4 नवंबर, 1960 की अधिसूचना संख्या 1-सीए (15)/60 के अर्थों में व्यावसायिक दुराचार का दोषी पाया गया और परिणामस्वरूप संबद्ध उच्च न्यायालय से यह सिफारिश की गई कि सदस्य पंजिका से उनका नाम तीन वर्षों के लिए हटा दिया जाए। तथापि, सुनवाई की तारीख को प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात एस. गोपालकृष्णन से तारीख 8 नवंबर, 2011 का एक स्थगन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि चूंकि नवंबर, 2011 के महीने में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था, अतः उन्हें अपने लिखित निवेदन भेजने के लिए कुछ समय चाहिए। परिषद् ने प्रतिवादी को लिखित निवेदन प्रस्तुत करने के लिए 45 दिन का समय देने का	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		निर्णय लिया और उक्त मामले में रिपोर्ट पर विचार करना 8 नवंबर, 2011 के लिए स्थगित कर दिया। तत्पश्चात्, प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् एस. गोपालकृष्णन ने भी अपना लिखित निवेदन दिनांक 26 दिसंबर, 2011 के पत्र के तहत प्रस्तुत किया। परिषद ने अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर 26 से 28 मार्च, 2012 को विचार किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता के लिखित और मौखिक निवेदनों के साथ प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद परिषद् ने निम्नवत् निर्णय लियाः- श्री एस गोपालकृष्णन को सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंडों (6), (7), (8) और (9) के अभिप्राय के अंतर्गत पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया और परिणामतः परिषद् ने संबंधित उच्च न्यायालय से अनुशंसा की कि उनका नाम सदस्यों की पंजिका से 5 वर्षों के लिए हटा दिया जाए। (ii) वर्ष 2001-02 के लिए : प्रतिवादी कंपनी अर्थात् मैसर्स लवलॉक एंड ल्यूज द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार जवाबदेह सदस्यगणः श्री केरसी एच वाछा श्री अमल गांगूली माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के आधार पर श्री केरसी एच वच्चा और अमल गांगूली से संबंधित प्रतिवेदन को परिषद् द्वारा विचार किए जाने के लिए 8 और 9 नवंबर, 2011 को आयोजनार्थ निर्धारित इसकी अगली बैठक में सूचीबद्ध किया गया। प्रतिवादियों द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों के आधार पर स्थगन का अनुरोध सुनवाई के दिन उनसे प्राप्त हुआ तथा तदनुसार अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर सुनवाई के स्थगन का फैसला किया गया। तदुपरांत, परिषद द्वारा अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर विचार के लिए 14 दिसंबर, 2011 की तिथि को नियत किया गया। इस बीच प्रतिवादियों ने माननीय बम्बई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने दिनांक 15 दिसंबर, 2011 के आदेश के तहत अंतरिम आदेश निम्नवतः रूप में पारित कियाः- ''इस बीच, जहां तक अंतरिम सुरक्षा का संबंध है, हमारे विचार में अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर याचिकादाताओं को सुनने के लिए प्रथम प्रतिवादी को अनुमति देना हमारे विचार से न्यायोचित होगा और याचिकादाताओं को सुनने के बाद यदि कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है तो इस अनंतिम प्रतिवेदन के आधार पर और कार्रवाइयां सुनवाई की आगली तारीख तक नहीं की जाएंगी।''	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		यह मामला सुनवाई हेतु 1 मार्च 2012 को प्रस्तुत हुआ तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया कि चूंकि वित्त वर्ष 2000-01 से संबंधित विशेष अनुमति याचिका एक याचिकादाता द्वारा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में दायर की गई है, अतः मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में 26 मार्च 2012 को सुनवाई के लिए पेश होने वाला है। तथापि, माननीय बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसम्बर, 2011 को पारित अंतरिम आदेश जारी रहे। इसके अलावा, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई कर लेने के बाद इस मामले पर विचार करने का अनुरोध अदालत से किया। तदनुसार, सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल, 2012 नियत की गई है। बंबई उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसरण में अंतिम निर्णय लेने के बाद संस्थान की परिषद् द्वारा ऐसे अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर अतिरिक्त कदम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक नहीं उठाए जाएंगे। सुनवाई की अगली तारीख 16 जुलाई, 2012 को नियत की गई है और इस बीच माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश अभी लागू हैं। श्री केरसी एच. वच्छा और अमल गांगूली के बारे में अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर 26 से 28 मार्च 2012 को सोच विचार हेतु नियत किया गया। अनुशासन समिति के प्रतिवेदन और अधिकृत वकील द्वारा किए गए निवेदन पर विचार करने के बाद परिषद् ने व्यवस्था दी कि प्रतिवादी सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची में भाग 1 के खंडों (5), (6), (7), (8) और (9) के अभिप्राय के अंतर्गत पेशेवर कदाचार के दोषी हैं और उसने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि प्रतिवादियों के नाम सदस्यों की पंजिका से पांच वर्षो की अवधि के लिए निकाल दिए जाएं। iii वर्ष 2002-03 के लिए : प्रतिवादी कंपनी अर्थात् मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एंड के द्वारा यथा प्रकटित जवाबदेह सदस्यगण : श्री पार्था घोष श्री डी.वी.पी. राव माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के आधार पर और तत्पश्चात एक जवाबदेह प्रतिवादी अर्थात् पी. रामाकृष्णन द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बाद तथा तत्पश्चात एम. के. एच. वच्छा और श्री अमल गांगूली द्वारा माननीय बंबई उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं के बाद इसकी सुनवाई की तारीख इन मामलों में फिर से अभी नियत की जानी है।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई

दिसम्बर, 2012 में यथासूचित

सनदी लेखाकार संस्थान ने सूचित किया है कि आई.सी.ए.आई के निम्नलिखित सदस्यों के नाम ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. की लेखापरीक्षा के संबंध में जवाबदेह बनाए जाने हेतु घोषित किए गएः

(क) प्रतिवादी फर्म मै. लवलॉक एंड ल्यूवेस के द्वारा।

* वर्ष 2000-01 के लिए तीन सदस्य
* वर्ष 2001-02 के लिए दो सदस्य और

(ख) प्रतिवादी फर्म मै. प्राइस वाटरहाउस एण्ड कम्पनी द्वाराः-

* वर्ष 2002-03 के लिए दो सदस्य

आई.सी.ए.आई ने वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के लिए जवाबदेह पांच सदस्यों के विरूद्ध जांच पूर्ण कर ली है तथा दिल्ली उच्च न्यायालय को अनुशंसा की है कि उनके नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिए जाएं। ये सदस्य हैंः-

(i) श्री एस. गोपालाकृष्णन (आई.सी.ए.आई ने अनुशंसा की है कि उनका नाम पांच वर्ष के लिए हटा दिया जाए)।

(ii) श्री पी. रामाकृष्णन (आई.सी.ए.आई ने अनुशंसा की है कि उनका नाम पांच वर्ष के लिए हटा दिया जाए)।

(iii) श्री मनीष अग्रवाल (आई.सी.ए.आई ने अनुशंसा की है कि उनका नाम तीन वर्ष के लिए हटा दिया जाए)।

(iv) श्री केरसी एच. वच्चा (आई.सी.ए.आई ने अनुशंसा की है कि उनका नाम पांच वर्ष के लिए हटा दिया जाए)।

(v) श्री अमल गांगुली (आई.सी.ए.आई ने अनुशंसा की है कि उनका नाम पांच वर्ष के लिए हटा दिया जाए)।

वर्ष 2002-03 के लिए दो सदस्यों नामतः श्री पार्था घोष तथा श्री डी.वी. राव के संबंध में, आई.सी.ए.आई ने उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय में मुकदमे के मद्देनजर वर्ष 2002-03 के लिए मामले पर निर्णय को विलम्बित कर दिया है।

माननीय दिल्ली उच्च-न्यायालय को आई.सी.ए.आई की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए,उपरोक्त 5 सदस्यों के संबंध में कार्रवाई को पूर्ण समझा जाए।

मई, 2013 में यथासूचित

स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

दिसम्बर, 2013 में यथासूचित

स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		जून, 2014 में यथासूचित वर्ष 2002-03 के लिए प्रत्यर्थी कंपनी अर्थात् मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस एंड कं. द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार उत्तरदायी सदस्यगणः **श्री पार्था घोष,** **श्री डी.वी. राव,** सभी दो प्रत्यर्थी सदस्य अक्तूबर 2007 में आईसीएआई द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए है। मार्च, 2010 तक आठ सुनवाइयों अनुशासन समिति द्वारा की गई है और अगामी सुनवाई 1 मई, 2010 को नियत की गई। तदुपरांत आईसीएआई को सलाह दी गई कि इस मामले में अगली सुनवाई का नियतन श्री पी.रामाकृष्णन के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुकूल निर्णय के खिलाफ आईसीएआई द्वारा दायर अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा फैसला किए जाने तक विलंबित किया जाए। 30 सितंबर, 2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के अनुसरण में, इसकी सुनवाई 24 अक्टूबर 2011 को नियत की गई, परंतु संबंधित सदस्यों से स्थगनानुरोध के कारण नहीं सुनी जा सकी। किंतु उसके बाद आईसीएआई इसकी सुनवाई नहीं कर सका, क्योंकि श्री पी रामाकृष्णन ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। पी. रामाकृष्णन ने जो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की वर्ष 2000-01 की लेखा-परीक्षा के सिलसिले में हुई कार्यवहियों के लिए उत्तरदायी ठहराए गए थे, दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ के दिनांक 30 सितंबर, 2011 के आदेश के जिसमें उनके नाम को 5 वर्षों तक हटाने के लिए आईसीएआई के निर्णय को बरकरार रखा गया था, खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में 25 नवंबर, 2011 को पेश हुई तथा उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत आदेश दिया- "जहां तक याचिका कर्ता (पी रामाकृष्णन) का संबंध है अगले आदेशों तक प्रत्यर्थी सं.01 (आईसीएआई) द्वारा अंतिम आदेश पारित नही किया जाएगा।" 2 जुलाई, 2012 को, इस मामले की सुनवाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ को अपना पक्ष दायर करने के लिए चार सप्ताहों का समय और तदुपरांत यायिका कर्ता को अपना पुनरूत्तर दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया और 6 सप्ताहों के बाद मामले को सूचिबद्ध किए जाने का निदेश दिया। उसके बाद मामला 24 अगस्त, 2012 को सूचीबद्ध किया गया। सुनवाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले में अनुमति याचिका को मंजूर किया और निदेश दिया कि अंतरिम आदेश अपील के निपटान तक प्रवृत्त रहेगा। माननीय	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश भी दिया कि अपील की सुनवाई में तेजी लाई जाए और उसे एक वर्ष के अंदर सुनवाई हेतु निर्धारित किया जाए। इस आवेदन को उच्चतम न्यायालय के समक्ष शीघ्र सुनवाई हेतु दायर किया गया है क्योंकि एक वर्ष पहले ही व्यपगत हो गया था और यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अभी सूचीबद्ध किया जाना है। मामले में आईसीएआई की अनुशासन समिति द्वारा सुनवाई का कार्य बाद में 6 मार्च, 2013 को नियत किया गया और संबंधित सदस्यों ने स्थगन के लिए अनुरोध किया जिसे मंजूर कर लिया गया। अंत में सुनवाई 5 अप्रैल, 2013 को की गई जिसमें प्रत्यर्थी (गण) तथा गवाह उपस्थि थे और मामले की आंशिक सुनवाई उस दिन की गई और बाद में प्रत्यर्थी (गण) के अनुरोध पर स्थगित की गई। तदुपरांत, संबंधित सदस्यों ने माननीय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अप्रैल, 2013 में रिट याचिका दायर की जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 2013 को यह निदेश देकर खारिज कर दिया कि इस मामले में जांच 17 दिसंबर, 2013 से पूर्व नहीं कराई जाएगी। इसके अलावा याचिकाकर्तागण अर्थात् श्री पार्श घोष और अन्य के अनुरोध पर 17 दिसंबर, 2013 कर प्रदत्त स्थगन 15 जनवरी, 2014 तक बढ़ा दिया। अन्य मामले में अगली सुनवाई अप्रैल, 2014 के महीने में नियत की गई परंतु लोक सभा चुनाव के कारण ऐसा नही हो सका। अब सुनवाई जून, 2014 के बाद नियत की जाएगी। **दिसम्बर, 2014 में यथा सूचित** स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। **जुलाई, 2015 में यथा संसूचित** वर्ष 2002-03 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी द्वारा यथासूचित उत्तरदायी सदस्यः श्री पार्थ घोष और श्री डी.वी.पी. राव अनुशासनिक समिति द्वारा सुनवाई 21 अगस्त, 2014 को मुंबई में की जानी तय की गई थी परन्तु इसे प्रतिवादियों के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया था और इसके पश्चात्, सुनवाई 23 सितंबर, 2014 को की जानी तय की गई थी परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसे भी स्थगित कर दिया गया। पुनः सुनवाई 05 नवम्बर, 2014 को मुंबई में की जानी तय की गई थी परन्तु इसे प्रतिवादियों के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात् मुंबई में जनवरी, 2015 माह में नियत की गई सुनवाई अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो सकी। अनुशासनिक समिति द्वारा मुंबई में सुनवाई 21 मई, 2015 को किया जाना नियत किया गया था।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		दिसम्बर, 2015 में यथा संसूचित वैश्विक न्यास बैंक लिमिटेड (जीटीबी) की वर्ष 2000-01 (मैसर्स लवलाक एंड लूइस), 2001-02 (मैसर्स लवलाक एंड लूइस) तथा वर्ष 2002-03 (मैसर्स प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी) की संपरीक्षा के संबंध में स्थिति। (i) वर्ष 2000-01 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल दिसंबर, 2012 में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, श्री पी. रामाकृष्णन और श्री एस. गोपालकृष्णन को सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग 1 के खंड (6), (7), (8) और (9) के आशय के अन्तर्गत व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया और इसके बाद में संबंधित उच्च न्यायालय से यह संस्तुति की गई कि सदस्यों की पंजिका से उनका नाम 5 वर्षों के लिए और श्री मनीष अग्रवाल का नाम 3 वर्षों के लिए निकाल दिया जाए। जहां तक श्री पी. रामाकृष्णन का संबंध है, विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय में 25 नवंबर, 2011 को सुनवाई की गई और उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नवत् आदेश दिया (जून, 2014 में संसूचित)ः *"जहां तक इसमें याचिकाकर्ता (श्री पी.* रामाकृष्णन*) का संबंध है, अगले आदेश तक, अनंतिम आदेश प्रत्यर्थी सं. 1 (आईसीएआई) द्वारा पारित नहीं किया जाएगा"* इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13 मई, 2015 के अपने निर्णय में निम्नवत आदेश पारित किया है : "हम लेटर्स पेटेन्ट अपील में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए विचार से पूर्णतः सहमत हैं और उसका समर्थन करते हैं । अतः लंबित कार्यवाहियां, निःसंदेह, 2006 में प्रवर्तित सनदी लेखाकार (संशोधन) अधिनियम से पूर्व विहित पुरानी प्रक्रिया के अनुसार अभिशासित होंगी। उक्त कारणों से हम इस अपील में कोई प्रासंगिक गुण नहीं पा रहे । तदनुसार यह खारिज की जाती है।" उपर्युक्त को देखते हुए, यह मामला परिषद् की आगामी बैठक में इसके विचारार्थ पेश किया जाएगा।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		(ii) वर्ष 2001-02 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगण : श्री केरसी एच वाछा श्री अमल गांगुली **दिसंबर 2012 में यथा संसूचित।** श्री केरसी एच वाछा और श्री अमल गांगुली के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किए गए लिखित अनुरोध के साथ अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, परिषद ने यह व्यवस्था दी कि ये प्रतिवादीगण सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 की द्वितीय अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), (6), (7), (8) और (9) के आशय के अंतर्गत व्यावसायिक कदाचार के दोषी पाए गए और उसने उच्च न्यायालय से अनुशंसा की कि प्रतिवादियों के नाम सदस्यों की पंजिका से पांच वर्षों की अवधि के लिए निकाल दिए जाएं। प्रतिवादियों ने माननीय बम्बई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 15 दिंसबर, 2011 के आदेश के तहत निम्नवत अंतरिम आदेश पारित किया गया - *"इस बीच, जहां तक अंतरिम राहत का संबध है, अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं को सुनने के लिए पहले प्रतिवादी को अनुमति देना हमारे विचार में न्यायोचित होगा और याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद यदि कोई अंतरिम निर्णय लिया जाता है तो सुनवाई की आगामी तारीख तक ऐसी रिपोर्ट के आधार पर कोई अतिरिक्त कदम न उठाया जाए"* तथापि श्री पी. रामाकृष्णन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, आईसीएआई ने उस अंतरिम आवेदन के निपटान के लिए माननीय बम्बई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उपर्युक्त अंतरिम आदेश पारित किए गए थे । तथापि, माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के निर्देशों को देखते हुए परिषद के निष्कर्ष संबंधित प्रतिवादियों तक दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 के पत्र के द्वारा पहुंचा दिए गए हैं। अब यह मामला संबंधित प्रतिवादियों को प्रदत दण्ड की पुष्टि और इस पर कार्यान्वयन के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में संदर्भ मामले के रूप में अनुसरित किया जाएगा।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		(iii) वर्ष 2002-03 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एण्ड कम्पनी द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री पार्थ घोष श्री डी.वी.पी. राव अनुशासन समिति द्वारा मुम्बई में सुनवाई किया जाना 21 मई, 2015 को नियत किया गया। इसमें प्रतिवादी के वकील ने स्थगन की मांग की क्योंकि एक प्रतिवादी बाहर था । समिति ने यह निर्देश देकर मामले को स्थगित कर दिया कि आगे से कोई स्थगन कदापि मंजूर नहीं होगा । तदुपरांत, इस मामले की मुम्बई में फिर सुनवाई करना 7 जुलाई 2015 को नियत किया गया। इसमें विशेष लेखा परीक्षकों से बयान लेकर उनसे जिरह की गई। तत्पश्चात् यह सुनवाई स्थगित कर दी गई क्योंकि आरबीआई का गवाह उपस्थित नहीं था। मामले की सुनवाई को गवाह/गवाहों के बयान लेने / पक्षकारों के मौखिक निवेदनों के लिए नियत किया जाना है जिससे कि उसका निपटारा किया जा सके। **जून, 2016 में यथा संसूचित** (i) वर्ष 2000-01 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल परिषद ने जनवरी, 2016 में आयोजित अपनी बैठक में इस मामले को विचारार्थ उठाया था। प्रतिवादी द्वारा उठाई गई कानूनी/तकनीकी आपत्तियों के आधार पर इसे स्थगित कर दिया गया था। यह मामला मार्च, 2016 में परिषद के समक्ष विचारार्थ पुनः नियत किया गया था। तथापि, प्रतिवादी के अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया था। तत्पश्चात, यह मामला 03 मई, 2016 को अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट के विचारार्थ नियत किया गया था। तथापि, प्रतिवादी के अनुरोध पर इसे पुन: स्थगित कर दिया गया था क्योंकि उसका काउन्सल देश से बाहर था। (ii) वर्ष 2001-02 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगण : श्री केरसी एच वाछा श्री अमल गांगुली कोई परिवर्तन नहीं।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		(iii) वर्ष 2002-03 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एण्ड कम्पनी द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री पार्थ घोष श्री डी.वी.पी. राव सुनवाई मुम्बई में 23 जनवरी, 2016 को नियत की गई थी। तथापि, प्रतिवादियों के अनुरोध पर उसे स्थगित कर दिया गया था। गवाहों से जिरह/पक्षकारों के मौखिक प्रस्तुतिकरण हेतु सुनवाई मुम्बई में 30 और 31 मई, 2016 के लिए पुनः नियत की गई थी। तथापि, प्रतिवादियों के अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया था। तत्पश्चात, अब यह मामला मुम्बई में 14 और 15 जुलाई, 2016 को सुनवाई हेतु नियत किया गया है। **दिसंबर, 2016 में यथासूचित** (i) वर्ष 2000-01 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल यह मामला 03 मई, 2016 को अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट के विचारार्थ नियत किया गया था। तथापि समय कम होने के कारण इस पर विचार को स्थगित कर दिया गया। तत्पश्चात्, इस मामले पर विचार करने के लिए 9 अगस्त 2016 की तिथि पुनः नियत की गई थी। तथापि समय कम होने के कारण इस पर विचार को स्थगित कर दिया गया। (ii) वर्ष 2001-02 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगण : श्री केरसी एच वाछा श्री अमल गांगुली दिसंबर 2015 में सूचित किए गए अनुसार, श्री पी. रामाकृष्णन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, आईसीएआई, अंतरिम आवेदन, जिसमें दिसंबर, 2015 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यथा उल्लिखित अंतरिम आदेश पारित किए गए थे, के निपटान के लिए माननीय बंबई हाईकोर्ट में चला गया,तथापि, माननीय बंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत परिषद के निष्कर्ष 19 अक्टूबर, 2015 के पत्र के तहत संबंधित प्रतिवादियों को भेज दिए गए हैं।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		चूंकि, दोनों प्रतिवादी दो भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों (पंजाब और हरियाणा तथा बंबई) के क्षेत्राधिकार के भीतर हैं। अतः केंद्रीय सरकार द्वारा यह विनिश्चित किया जाना है कि सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 21(7) के स्पष्टीकरण 1 के परंतुक के अनुसार, अन्यों के अपवर्जन के संबंध में कौन-सा उच्च न्यायालय सभी सदस्यों (इसमें प्रतिवादी) के विरुद्ध मामलों की सुनवाई करेगा। तदनुसार, कारपोरेट मंत्रालय से यह निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था कि किस न्यायालय (पंजाब और हरियाणा या बंबई) को यह संदर्भ दोनों प्रतिवादियों के विरुद्ध परिषद द्वारा दिए गए दंड की पुष्टि के लिए अग्रेषित किया जाए। (iii) वर्ष 2002-03 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एण्ड कम्पनी द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः मैसर्स प्राइस वाटरहाउस एन्ड कंपनी श्री पार्थ घोष श्री डी.वी.पी. राव मुम्बई में 14 और 15 जुलाई, 2016 को सुनवाई के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवाह से आंशिक रुप से जिरह की गई और इसे स्थगित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इस मामले में अगली सुनवाई दिल्ली में 23 और 24 सितंबर, 2016 के लिए नियत की गई थी। **जुलाई, 2017 में यथासूचित** (i) वर्ष 2000-01 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल कोई परिवर्तन नहीं। (ii) वर्ष 2001-02 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगण : श्री केरसी एच वाछा श्री अमल गांगुली कोई परिवर्तन नहीं।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		(iii) वर्ष 2002-03 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एण्ड कम्पनी द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री पार्थ घोष श्री डी.वी.पी. राव दिनांक 26 सितंबर, 2016 के लिए नियत सुनवाई अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त, सुनवाई पर रोक लगाने के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय द्वारा कोई निदेश न दिए जाने के चलते अगली सुनवाई की तारीख 2 नवंबर, 2016 को नियत की गई थी क्योंकि प्रतिवादियों ने इस मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी। इस दौरान मामले पर आंशिक सुनवाई की गयी और प्रतिवादियों के अनुरोध पर यह मामला स्थगित कर दिया गया था। इस मामले पर दिनांक 21 और 22 दिसंबर 2016 को आगे सुनवाई करने के लिए पुनः नियत किया गया। तथापि, इन दोनो सदस्यों द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2016 को दायर एक रिट याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आयी जिसमें काउंसेल द्वारा प्रथम दृष्ट्या बनाई गई राय को चुनौती दी गई थी और इसके तहत पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर दायर करने की अनुमति दे दी गई तथा सुनवाई की अगली तारीख 11 जनवरी, 2017 को नियत की गई। दिनांक 14 दिसंबर, 2016 को न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी के काउंसेल ने दिनांक 21 और 22 दिसंबर, 2016 के लिए नियत सुनवाई का मुद्दा उठाया। तथापि, न्यायालय ने आईसीएआई द्वारा नियत सुनवाई के संबंध में कोई विशिष्ट स्थगन प्रदान न करते हुए आईसीएआई के अधिवक्ता को दिनांक 21 और 22 दिसंबर, 2016 के लिए नियत सुनवाई के संबंध में आगे कुछ न कहने की सलाह दी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई ऐसी मौखिक सलाह पर दिनांक 21 और 22 दिसंबर, 2016 के लिए नियत उपर्युक्त सुनवाई स्थगित कर दी गई। तत्पश्चात, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 11 जनवरी. 2017 को यह मामला आया और न्यायालय ने यह मामला दिनांक 24 अप्रैल, 2017 के लिए स्थगित कर दिया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 24 अप्रैल. 2017 को इस मामले पर सुनवाई की तथा रिट याचिका से संबंधित दोनों पक्षकारों की बात	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		सुनने के बाद यह निदेश दिया कि प्रतिवादियों को गवाहों की परीक्षा और प्रति-परीक्षा (प्रतिवादी द्वारा न्यायालय से किए गए अनुरोध के अनुसार) के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने अनुशासन समिति की कार्यवाहियों पर कोई स्थगन प्रदान न करने का भी निर्णय लिया। इसी बीच, आईसीएआई द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल, 2017 की तिथि नियत की गयी और इस संबंध में प्रतिवादियों को दिनांक 31 मार्च, 2017 को नोटिस भेजा गया। परीक्षा/प्रति परीक्षा के लिए पक्षकारों को पर्याप्त समय देने हेतु, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के लिए नियत सुनवाई दिनांक 9 और 10 मई, 2017 तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिनांक 9 मई, 2017 को आंशिक सुनवाई हुई जिसमें अनुशासन समिति ने एम. भास्कर राव एण्ड कंपनी, विशेष लेखा परीक्षकों से जिरह की। तत्पश्चात्, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के अनुपालन में जिसके द्वारा गवाह(गवाहों) की प्रति-परीक्षा के लिए समय देना अपेक्षित था, आगे की सुनवाई 7 और 8 जून, 2017 तक के लिए स्थगित कर दी गई। **दिसम्बर, 2017 में यथासूचित** (i) वर्ष 2000-01 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल परिषद ने श्री मनीष अग्रवाल और एस. गोपालकृष्णन को दोषी पाया और परिणामस्वरूप सदस्यों के रजिस्टर से उनके नामों को क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए हटाने हेतु संबंधित उच्च न्यायलय को सिफारिश की थी। तथापि तीसरे प्रतिवादी अर्थात श्री पी. रामाकृष्णन, प्रतिवादी द्वारा दायर की गई एस.एल.पी. को खारिज करने के माननीय उच्चतम न्यायलय के तारीख 13 मई, 2015 के निर्णय के पश्चात् परिषद ने मई, 2017 में आयोजित अपनी बैठक में अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर अंततः विचार किया था और परिषद द्वारा रिपोर्ट पर विचार करते समय चर्चाओं से यथा उद्भूत कतिपय विशिष्ट मुद्दों के संबंध में आगे पूछताछ करने	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		के लिए अनुशासन समिति को उक्त प्रतिवादी का मामला वापस भेज दिया गया। यह पूछताछ जल्द ही आरंभ होगी। (ii) वर्ष 2001-02 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगण : श्री केरसी एच वाछा श्री अमल गांगुली प्रतिवादियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किए गए लिखित निवेदन सहित अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् परिषद ने उक्त परिवादियों को व्यवसायिक दुराचार का दोषी पाया और पाँच वर्षों की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से उनके नामों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय को सिफारिश की। (iii) वर्ष 2002-03 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एण्ड कम्पनी द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री पार्थ घोष श्री डी.वी.पी. राव तारीख 18 और 19 जुलाई, 2017 तथा 23 और 24 अगस्त, 2017 को 2 बैठकों में आगे पूछताछ की गई जिनमें प्रमुख गवाहों से पूछताछ की गई और प्रतिवादी एवं समिति द्वारा प्रति परीक्षा की गई। इस मामले की अंतिम सुनवाई 10 नवंबर, 2017 को मुंबई में की गई थी, जिसमें प्रतिवादियों के कांउसिल द्वारा श्री पार्थ घोष से श्री डी.वी.पी. राव के मामले में गवाह के रूप में तथा इनके स्वयं के मामले में प्रतिवादी के रूप में पूछताछ की गई। इस मामले की अगली सुनवाई 7 और 8 दिसंबर, 2017 को मुंबई में होनी निर्धारित की गई है। **जुलाई, 2018 में यथासूचित** (i) वर्ष 2000-01 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात् मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. रामाकृष्णन श्री मनीष अग्रवाल	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		अनुशासन समिति ने 04 अप्रैल, 2018 को सीए पी.रामाकृष्ण के मामले में सुनवाई की थी और प्रतिवादियों के प्रस्तुतीकरण पर सुनवाई करने के बाद, इस मामले की सुनवाई समाप्त की गई थी। इस मामले की रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है और इसे अंतिम रूप दिए जाने तथा प्रतिवादी को जारी किए जाने के पश्चात् इस पर विचार करने हेतु इसे आईसीएआई की परिषद के समक्ष रखा जाएगा। (ii) वर्ष 2001-02 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलाक एंड लूइस द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगण : श्री केरसी एच वाछा श्री अमल गांगुली कोई परिवर्तन नहीं। (iii) वर्ष 2002-03 के लिए : प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एण्ड कम्पनी द्वारा यथा प्रकटित उत्तरदायी सदस्यगणः श्री पार्थ घोष श्री डी.वी.पी. राव तारीख 07 दिसम्बर, 2017 को की गई सुनवाई के पश्चात् 3 बैठकों में पुछताछ की गई, जिनमें तारीख 04 अप्रैल, 2018 को सीए पार्थ घोष की प्रतिवादी के रूप में तथा सीए डी.वी.पी. राव के मामले में गवाह की परीक्षा/प्रति-परीक्षा की गई। दोनों प्रतिवादियों के लिए समान काउंसिल ने 16 अप्रैल, 2018 और 27 अप्रैल, 2018 को अभिकथनों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया एवं तत्पश्चात् 27 अप्रैल, 2018 को इस मामले में सुनवाई पूरी की गई। इस मामले की रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है और इसे अंतिम रूप दिए जाने तथा प्रतिवादी को जारी किए जाने के पश्चात् इस पर विचार करने हेतु इसे आईसीएआई की परिषद के समक्ष रखा जाएगा। **दिसंबर, 2018 में यथासूचित** स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं **जून, 2019 में यथासूचित** वर्ष 2001-01 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड लुईस द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यगण श्री एस. गोपालकृष्णन श्री पी. राम कृष्ण श्री मनीष अग्रवाल	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		श्री पी. रामकृष्ण के मामले में परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे पूछताछ की गई और अनुशासन समिति की रिपोर्ट प्रतिवादी को भेज दी गई। दिनांक 17 और 18 दिसम्बर 2018 को आयोजित परिषद की 379वीं बैठक में यह मामला विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और इस बैठक में सीए पी. रामकृष्ण के काउंसिल सुनवाई के लिए परिषद के समक्ष उपलब्ध नहीं थे। यह मामला 10 जनवरी, 2019 को विचार करने के लिए फिर सूचीबद्ध किया गया, जिसमें सीए पी. रामकृष्ण के काउंसिल उपस्थित थे और उन्होंने चिकित्सीय आधार पर स्थगन का अनुरोध किया। तथापि, समय के अभाव के कारण इस मामले पर विचार नहीं किया जा सका। (ii) वर्ष 2001-02 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड लुईस द्वारा यथा प्रकटित जवाबदेह सदस्यगणः श्री केरसी एच. वाछा श्री अमल गांगुली कोई बदलाव नहीं। (iii) वर्ष 2002-03 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एंड कंपनी द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यगणः श्री पार्थ घोष श्री डी.वी.पी. राव लेखापरीक्षकों सीए पार्थ घोष और सीए डीवीपी राव के संबंध में की गई सुनवाई के संबंध में अनुशासन समिति की रिपोर्टें संबंधित प्रतिवादियों को भेज दी गई थीं। यह मामला 17 और 18 दिसम्बर 2018 को आयोजित की गई परिषद की 379वीं बैठक में विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। तथापि, इस बैठक में मामले पर विचार नहीं किया गया क्योंकि सीए पार्थ घोष ने इस आधार पर स्थगन की मांग की थी कि वह थायराइड कैंसर से ग्रस्त हैं और परिषद् के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है। यह मामला फिर 10 जनवरी 2019 को परिषद के विचार हेतु सूचीबद्ध किया गया परंतु सीए पार्थ घोष ने समान चिकित्सीय आधार पर स्थगन का अनुरोध किया और वह परिषद् के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी को स्थगन दे दिया गया।	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		दिसम्बर, 2019 में यथासूचित (i) **वर्ष 2000-01 के लिए: प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड लुईस द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यगण** **श्री एस. गोपालकृष्णन** **श्री पी. राम कृष्ण** **श्री मनीष अग्रवाल** सीए पी. रामकृष्ण के मामले में, आईसीएआई ने यह सूचित किया कि परिषद द्वारा 21 और 22 मई, 2019 को आयोजित अपनी 383वीं बैठक में अनुशासनिक समिति की रिपोर्टों पर विचार किया गया था। संबंधित प्रतिवादियों के लिखित तथा मौखिक निवेदनों के साथ-साथ अनुशासनिक समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय को यह संस्तुति करने का निर्णय लिया कि सी.ए.पी. रामकृष्ण का नाम सदस्यों के रजिस्टर से 01(एक) वर्ष की अवधि तक के लिए हटा दिया जाए। **परिषद द्वारा सनदी लेखाकार अधिनियम असंशोधित; 1949 की धारा 21(5) के उपबंधों के अनुसार संदर्भगत मामले को माननीय उच्च न्यायालय में अभी दायर किया जाना है।** (ii) **वर्ष 2001-02 के लिए: प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड लुईस द्वारा यथा प्रकटित जवाबदेह सदस्यगण:** **श्री केरसी एच. वाछा** **श्री अमल गांगुली** **कोई बदलाव नहीं।** (iii) **वर्ष 2002-03 के लिए: प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एंड कंपनी द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यगण:** **श्री पार्थ घोष** **श्री डी.वी.पी. राव** आईसीएआई ने यह सूचित किया कि परिषद द्वारा 21 और 22 मई, 2019 को आयोजित अपनी 383वीं बैठक में सीए पार्थ घोष और सीए डी.वी.पी. राव के मामले में अनुशासनिक समिति की रिपोर्टों पर विचार किया गया था। संबंधित प्रतिवादियों के लिखित और मौखिक निवेदनों के साथ-साथ अनुशासनिक समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, परिषद ने माननीय उच्च न्यायालय को यह संस्तुति करने का निर्णय लिया कि सीए पार्थ घोष और सीए डी.वी.पी. राव का नाम सदस्यों के रजिस्टर	

क्र.सं.	पैरा सं. संयुक्त संसदीय समिति के अवलोकन/सिफारिश	सरकार का उत्तर/की गई कार्रवाई	आगे और की गई कार्रवाई
		से क्रमशः 05 (पाँच) वर्ष की अवधितक के लिए और 03 (तीन) वर्ष की अवधि तक के लिए हटा दिया जाए। परिषद द्वारा सनदी लेखाकार अधिनियम असंशोधित; 1949 की धारा 21(5) के उपबंधों के अनुसार संदर्भगत मामले को माननीय उच्च न्यायालय में अभी दायर किया जाना है। **जून, 2020 में यथासूचित** (i) **वर्ष 2000-01 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड लुईस द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यगण** **श्री एस. गोपालकृष्णन** **श्री पी. राम कृष्ण** **श्री मनीष अग्रवाल** श्री एस गोपालकृष्णन एवं सी.ए. मनीष अग्रवाल के मामले में संदर्भगत प्रकरण क्रमशः माननीय उच्च न्यायालय हैदराबाद एवं कर्नाटक में लंबित है। इसके अलावा, सी.ए. पी. रामाकृष्णन के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद में एक संदर्भित मामला दायर किया गया है और यह मामला लंबित है। (ii) **वर्ष 2001-02 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स लवलॉक एंड लुईस द्वारा यथा प्रकटित जवाबदेह सदस्यगणः** **श्री केरसी एच. वाछा** **श्री अमल गांगुली** यह मामला अभी भी माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। (iii) **वर्ष 2002-03 के लिएः प्रतिवादी फर्म अर्थात मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस एंड कंपनी द्वारा यथाप्रकटित जवाबदेह सदस्यगणः** **श्री पार्थ घोष** **श्री डी.वी.पी. राव** माननीय बम्बई उच्च न्यायालय में संदर्भगत मामला दायर कर दिया गया है तथा मामला लंबित है।	